टी.आर.ओ. नागपुर

केस स्टडी-23/2025

जारी तिथि : 16.07.2025

SPAD

घटनाक्रम: दिनांक 10.07.2025 को, उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में ट्रेन नं. 'DN. EAN-03 (BOXN/E), लोको नं. 60027/WAG-12/SRE, लोड:1250T, के साथ टूंडला मुख्यालय के क्रू द्वारा टूंडला सेन्ट्रल यार्ड, लाईन संख्या 08 से गाड़ी का चार्ज लेकर 21.20 बजे स्टार्ट किया। गाड़ी को मक्खनपुर (MNR) के लूप लाईन में 23.25 बजे मेल/एक्स. गाड़ियों को प्रेसीडेंस देने के लिए रोका गया। ततपश्चात 23.48 बजे स्टार्टर सिगनल को 'ऑफ' किया गया लेकिन एडवांस स्टार्टर सिगनल लाल था। लोको पायलट ने लूप लाईन स्टार्टर सिगनल के 'आफ' होने पर गाड़ी को स्टार्ट की, लेकिन एडवांस स्टार्टर सिगनल (जो राईट हैण्ड साईड पर स्थित था) को 'ऑन' की स्थिति में 22 Kmph की गति से पास करते हुए 445 मीटर आगे जाकर, SM द्वारा वाकी-टाकी पर इंजन क्रू को तुरंत गाड़ी रोकने हेतु निर्देश दिया व साथ ही 'OHE' भी 'ऑफ' भी करवाकर, गाड़ी को रूकवाई गई।

संभावित कारण:

- अपनी लाइन के सिग्नलो के लोकेशन के प्रति विशेषकर राईट हैण्ड साईड में लगे सिग्नल के प्रति जागरूक न रहना।
- कर्मीदल द्वारा एडवांस स्टार्टर के संकेत लाल है, ये देखने में विफल रहना।
- एक पीला सिगनल पार करने के उपरान्त अगले सिगनल की ओर ध्यान न देना तथा गैर ज़रूरी गतिविधियों पर अपना ध्यान लगाना।
- स्टार्टर मिलने पर यह मान लेना कि हमें अब ब्लाक-सेक्शन में जाने हेतु पूर्ण प्राधिकार मिल गया है अर्थात आने वाला एडवांस स्टार्टर सिगनल 'ऑफ' ही होगा।
- सहायक लोको पायलट द्वारा एडवांस स्टार्टर सिग्नल लाल दिखने पर भी समय पर RS वाल्व न खोलना।

उपरोक्त घटना से सबक:

- ✓ रोड लर्निंग सही तरीके से लें व अपनी लाइन के सिग्नलो के लोकेशन के प्रति विशेषकर राईट हैण्ड साईड में लगे सिग्नलो के प्रति जागरूक रहें।
- ✓ लोको पायलट को "एक पीला" सिग्नल दिखने पर अपनी गाड़ी को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए तथा अगले स्टॉप सिग्नल से पहले अपनी गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी यह मानकर न चलें कि अगला सिग्नल ऑफ ही होगा या हो जाएगा।
- ✓ कर्मीदल को हाथों के इशारों से ज़ोर से सिग्नल के संकेतों को पुकारना चाहिए, जैसे हरा संकेत-1 बार, दो पीला-2 बार, एक पीला-3 बार व लाल-4 बार।
- ✓ गाड़ी संचलन के दौरान अन्य किसी कार्य में व्यस्त न हो एवं पूरा ध्यान सिग्नलो के संकेत पर रखें।
- ✓ सिग्नल एक पीला दिखने पर ALP खड़े होकर RS वाल्व पर, लाल सिग्नल पर गाड़ी रुकने तक, हाथ रखें व आवश्यकता पड़ने पर समय रहते RS वाल्व खोल दें।

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(गौरव कु. श्रीवास्तव)
वरि.मं. व.इंजि.(परि.),नागपुर